न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारीः– अर्पिता सोनी, आर.ए.एस.

प्र.सं. 20/2020
जी.सी.एम.एस. : 2020/00246

1. गोपाल कृष्ण पुत्र रमेश कुमार जाति खत्री निवासी 33 एनपी हाल वार्ड नं. 15 रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0

–प्रार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर
2. अमनदीप कौर पत्नी जगसीर सिंह जाति जटसिख निवासी 36 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
3. मनप्रीत कौर पत्नी जग्गा सिंह जाति जटसिख निवासी 36 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0

–:अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आर टी एक्ट</u>

उपस्थितिः–

1. श्री अवतार सिंह, वकील प्रार्थी
2. राजपैरोकार
3. एकपक्षीय अप्रार्थी सं. 2–3

–: <u>निर्णय</u> :–

दिनांक :27.01.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि चक 33एनपी तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 7 प.नं. 197/329 के कि.नं. 7 ता 15 में कुल 1.581है. नहरी भूमि में पहुंचने के प्रयोजन हेतु अप्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 33 एनपी के मु.नं. 7 प.नं. 197/329 के कि.नं. 21–20 प्रत्येक में दो दो बिस्वा व 11/2 में 1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट मंगवाई गयी। दिनांक 19.01.2021 को अप्रार्थी सं. 2–3 के विरूद्व हाजिर नहीं आने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। तहसीलदार रायसिंहनगर से जांच रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2021/21 दिनांक 06.01.2021 प्राप्त हुई। मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी को अपने खेत में आवागमन हेतु कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं हैं। अप्रार्थीगण द्वारा मौका पर अपने करबा के कि.नं. 11/2/0.008, 20/0.015, 21/0.015कुल 0.038है. गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किये जाने और बदला में अपने रकबा के चिपते हुए मु.नं. 7 के कि.नं. 11/0.007, 12/0.007, 13/0.008, 14/0.008, 15/0.008 कुल 0.038है. नहरी रकबा दिये जाने की सहमति दी हैं।

बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दाहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु कोई स्वीकृत मार्ग नहीं हैं। तथा अपनी बहस में रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार भूमि के बदले भूमि दिये जाने पर एतराज जाहिर किया। तथा रास्ता स्वीकृत कर डी.एल.सी दर से मुआवजा दिया जाने के आदेश देने हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया। एवं पत्रावली का अवलोकन किया। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर प्रार्थी को अपने खेत में आवागमन हेतु कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं हैं। अतः राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम के नियम 68–69 अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत होता हैं।

लिहजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर चक 33 एनपी के मु.नं. 7 प.नं. 197/329 के कि.नं. 21–20 प्रत्येक में दो दो [illegible]1/2 में 1 बिस्वा पश्चिमी गै.मु. रास्ता स्वीकृत किया जाता हैं। प्रार्थी अप्रार्थीगण को मुआवजा [illegible] और [illegible] रास्ते में आई भूमि की डी.एल.सी. दर की दो गुणा राशि अदा करेगा। तहसीलदार रायसिंहनगर प्रार्थी से मुआवजा राशी जमा कर नियमानुसार अप्रार्थीगण को उनके हिस्सा अनुसार भुगतान करें। तथा इसी अनुसार स्वीकृतशुदा गैर.मु. [illegible] का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Sohi
Date: 2021.03.04 14:23:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

01/02/21

आज यह पत्रावली प्रार्थी जरिए अधिवक्ता प्रा.पत्र 152 CPC का पेश करने पर पेशी में ली गई। वकील प्रार्थी ने प्रा.पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.01.21 में संशोधन कर डी.एल.सी. की दो गुना राशि के स्थान पर मु.नं. 7 के कि.नं. 11-12 प्रत्येक में .007 है. व कि.नं. 13-14-15 प्रत्येक में 0.008 है0 कुल 0.038 है0 भूमि अप्रार्थी अमनदीप कौर व मनप्रीत कौर को दिए जाने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर में अंकित है कि अप्रार्थीगण ने रास्ते के बदले भूमि दिलाए जाने पर सहमति प्रदान की है। प्रार्थी द्वारा भी प्रा.पत्र 152 CPC प्रस्तुत कर आदेश संशोधन करने हेतु निवेदन किया है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रा.पत्र 152 CPC स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय द्वारा प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 27.01.21 के अंतिम पैरा की तीसरी पंक्ति में "प्रार्थी अप्रार्थीगण को मुआवजा के तौर पर रास्ते में आई भूमि की डी एल सी दर की दो गुना राशि अदा करेगा। तहसीलदार रायसिंहनगर प्रार्थी से मुआवजा राशि जमा कर नियमानुसार अप्रार्थीगण को उनके हिस्सा अनुसार भुगतान करें।" के स्थान पर "तहसीलदार रायसिंहनगर रास्ते में आई भूमि के मुआवजा के तौर पर प्रार्थी की खातेदारी भूमि मु.नं. 7 के कि.नं. 11/.007, 12/.007, 13/.008, 14/.008, 15/.008 कुल 0.038 है0 भूमि प्रार्थी के हिस्सा में से कम करके अप्रार्थीगण के रकबा के चिपते हुए हिस्सा बराबर संयुक्त खाता में दर्ज करें।" लिखा, पढ़ा व समझा जावे। आदेश सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.03.04 14:23:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner